राज्य द्वारा एडीपीओउप0 आरोपी नरेश, महेश एवं प्रीतम सिंह सहित अधिवक्ता श्री राजीव शुक्ला उपः।

आरोपी सहुल अनु.। की ओ से अधिवक्ता श्री राजीव शुक्ला उप.। अनु. आरोपी की ओर से अधिवक्ता द्वारा द प्र स. की धारा 317 के अंतर्गत हाजिरी माफी आवेदन पेश किया गया। बाद विचार आवेदन स्वीकार किया गया एवं अनु. आरोपी की उपस्थिति जिरये अधिवक्ता मान्य की गयी।

प्रकरण आज बचाव साक्ष्य हेतु नियत है। आज दिनांक को फरियादी अजीत सिंह उप.। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा की गयी।

इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा व्यक्त किया गया कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते है आज दिनांक को आहत अजीत सिंह द्वारा उप0 होकर व्यक्त किया गयाकि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहता है। चूंकि उभयपक्ष प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते है अतः उक्त प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय मे भेजा जाता है। इस संबंध में रिफरल ऑर्डर जारी किया जावे।

उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता हैकि प्रशिक्षित मीडिएटर प्रथम अपूर सन्त्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में उप0हो।

प्रकरण मीडिएशन रिर्पोट हेतु चायकाल पश्चात पेश हो।

जे०एम०एफ०सी

पुनश्च-

पक्षकार पूर्ववत। प्रकरण मे मीडिएशन रिर्पोट प्राप्त।

इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा द०प्र0स0की धारा 320 (2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गयी।

फरियादी अजीत सिंह द्वारा द प्र स. की धारा 320, (4) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर आहत मृत कप्तान सिंह की ओर से राजीनामा करने की अनुमति चाही गयी। सर्वप्रथम धारा 320 (4) द प्र स. के आवेदन पर विचार किया गया।

फरियादी अजीत सिंह द्वारा द प्र स. की धारा 320 4 के अतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि आहत कप्तान सिंह उसके पिता थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वह प्रकरण में कप्तान सिंह की ओर से भी राजीनामा करना चाहता है। फरियादी अजीत सिंह आहत कप्तान सिंह का पुत्र है एवं कप्तान सिंह का विधिक प्रतिनिधि होकर उसकी ओर से राजीनामा करने के लिये सक्षम है। आहत कप्तान सिंह की मृत्यु हो चुकी है एवं अजीत सिंह आहत कप्तान सिंह की पुत्र है। अतः अजीत सिंह को आहत मृत कप्तान सिंह की ओर से भी राजीनामा करने की अनुसति प्रदान की जाती है।

तत्पश्चात उभयपक्षो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।
प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि
आरोपीगण के विरुध्द भा द स की धारा 294, 325/34 एवं
506 भाग 2 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये है।
आरोपीगण पर आरोपित आरोप न्यायालय की अनुमति से
राजीनामा योग्य है। फरियादी अजीत सिंह ने स्वयं एवं
आहत कप्तान सिंह की ओर से आरोपीगण से स्वेचछयापूर्वक
बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है।
राजीनामा पक्षकारों के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है
अतः वादविचार उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन
स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षों को राजीनामा करने की
अनुमति प्रदान की गई। राजीनामा के आधार पर आरोपी नरेश,
महेश, प्रीतम एवं राहल को भा द स की धारा 294,

325 / 34 एवं 506 भाग 2 के आरोप से दोषमुक्त किया गया। आरोपी राहुल अनुप्रिथत हैं। उसकी दोषमुक्ति ्र्यूव से जमानत पर है। उनके उनलक भारहीन किये जाते है। प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नही है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे। की सूचना उसके अधिवक्ता की दी गयी। आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है। उनके